पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 15.04.2021

1-**थाना दादरी पुलिस एवं एसटीएफ नोएडा के द्वारा एक शराब तस्कर/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 5 पेटी अवैध शराब (कुल 250 पव्वे) सतरंगी संतरा हरियाणा मार्का ,01तमंचा मय कारतूस व 10 हजार रूपये बरामद।**

दिनाँक 14.04.2021 को थाना दादरी पुलिस एवं एसटीएफ नोएडा द्वारा अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्की पुत्र फिरे राम निवासी ग्राम नगला नैनसुख थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को 5 पेटी अवेध शराब (कुल 250 पव्वे) सतरंगी संतरा हरियाणा मार्का व एक तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस व जामा तलाशी के 10 हजार रूपये के साथ ग्राम नगला नैनसुख से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्की उपरोक्त द्वारा दिनांक 11.04.2021 को ग्राम नगला नैनसुख में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में अपने पक्ष में वोट डलवाने को लेकर गांव के लोगों को अवैध शराब बांटने की सूचना पर पहुँची पुलिस पर फायर कर मौके से भाग गया था एवं इसके द्वारा मतदाताओं को बांटने हेतु लायी गयी अवैध शराब 05 पेटी हरियाणा मार्का (अद्दे) को बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0-205/2021 धारा 307 भादवि0 व मु0अ0सं0-206/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत है । उक्त अभियुक्त रणदीप भाटी गैंग के शूटर शातिर अपराधी मनोज का सगा भाई है जिसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है । अभि0 से बरामद जामा तलाशी के 10 हजार रूपये अपनी भाभी के चुनाव प्रचार हेतु मतदाताओं में बांटने के लिए ले जाये जा रहे थे । अभि0 मुकेश उर्फ मुक्की उपरोक्त से बरामद शराब की कीमत लगभग 15 हजार रूपये है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुकेश उर्फ मुक्की पुत्र फिरे राम निवासी ग्राम नगला नैनसुख थाना दादरी गौ0बु0नगर

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0-214/2021 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

2.मु0अ0सं0-215/2021 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

3.मु0अ0सं0-205/2021 धारा 307 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

4.मु0अ0सं0-206/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

5.मु0अ0सं0-507/13 धारा 307 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

6. मु0अ0सं0-725/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

7.मु0अ0सं0-943/18 धारा 147,148,149,307,34 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

8.मु0अ0सं0-165/19 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 05 पेटी अवैध शराब (कुल 250 पव्वे) सतरंगी संतरा हरियाणा मार्का

2. एक तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

3. 10 हजार रूपये (जामा तलाशी के)

2- थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से मोटरसाइकिल व अवैध हथियार मय कारतूस बरामद।

दिनांक 12/04/2021 को थाना बीटा 2 क्षेत्र के स्वर्ण प्लाजा से मोटरसाइकिल चोरी हो गयी थी जिसका सफल अनावरण करते हुए दिनांक 14/04/2021 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल

चोरी करने वाले 02 शातिर वाहन चोर 1. पंकज पुत्र जय किशोर निवासी ग्राम इग्लास मौ0 जाटव थाना इग्लास जनपद अलीगढ वर्तमान निवासी लुक्सर थाना ईकोटेक प्रथम जिला गौतमबुद्धनगर 2. मोनू पुत्र राम सिहं निवासी ग्राम साहबुद्दीन नगर थाना हाफिजपुर जिला हापुड वर्तमान पता निवासी लुक्सर थाना ईकोटेक प्रथम जिला गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के नट मडैया गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 मोटरसाइकिल यूपी 16 सीएम 1272 ग्लेमर रंग ब्लू व 01 अवैध तंमचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए है।

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो अपने साथियो के साथ मिलकर एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करते है और अपने बचाव में अवैध हथियार भी रखते है तथा चोरी की मोटरसाइकिल को सस्ते दामो में बेचकर अवैध धन अर्जित करते है।

अभियुक्तों का विवरण-

1.पंकज पुत्र जय किशोर निवासी ग्राम इग्लास मौ0 जाटव थाना इग्लास जनपद अलीगढ वर्तमान निवासी लुक्सर थाना ईकोटेक प्रथम जिला गौतमबुद्धनगर।

2.मोनू पुत्र राम सिहं निवासी ग्राम साहबुद्दीन नगर थाना हाफिजपुर जिला हापुड वर्तमान पता निवासी लुक्सर थाना ईकोटेक प्रथम जिला गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0स0 240/2021 धारा 379/411 भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0स0 244/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1.एक मोटरसाइकिल यूपी 16 सीएम 1272 ग्लेमर रंग ब्लू

2. 01 अवैध तंमचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

3- थाना बीटा पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व 03 प्लास्टिक की कैन में 60 लीटर कच्ची यूरिया अपमिश्रित शराब व 01 होंडा सिटी कार बरामद।

दिनांक 14/04/2021 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर शराब तस्कर दुष्यन्त उर्फ सैन्की पुत्र कृपाल सिंह निवासी बिरमपुर थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के ओमेक्स मॉल के पास ग्रीन बेल्ट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 04 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व 03 प्लास्टिक की कैन में 60 लीटर कच्ची यूरिया अपमिश्रित शराब व 01 होंडा सिटी कार न0 एचआर 26 एई 7658 बरामद हुई है।

अभियुक्त यह शराब जिला पंचायत प्रत्याक्षी के लिए ले जा रहा था जिसके द्वारा वोटरो को लुभाकर अपने पक्ष में वोट डालने हेतु यह शराब बांटी जानी थी।

अभियुक्त का विवरण-

दुष्यन्त उर्फ सैन्की पुत्र कृपाल सिंह निवासी बिरमपुर थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 245/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व 270/272/120 बी भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1.04 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का

2. 03 प्लास्टिक की कैन में 60 लीटर कच्ची यूरिया अपमिश्रित शराब

3. 01 होंडा सिटी कार न0 एचआर 26 एई 7658

4- थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 बन्डल बिजली के तार मय ट्रक बरामद।

दिनांक 15/04/2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा निर्माणाधीन 33/11 के.वी. बिजलीघर सी ब्लाक सेक्टर 63 नोएडा से 02 बन्डल बिजली के तार चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. मोहम्मद अब्दुल गफ्फार पुत्र मौ0 पप्पू खान निवासी मकान 430 गली नं0 5 अग्रवाल विद्यालय के पास संजय इन्कलेव सेक्टर 22 फरीदाबाद 2. अमित पुत्र गैदल लाल निवासी नवाबगंज थाना नबावगंज जिला बरेली को अजनारा चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 बन्डल बिजली के तार मय ट्रक नं0 डीएल 1 एमए 6450 बरामद किये गये है।

धटना का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 14/04/2021 को निर्माणाधीन 33/11 के.वी. बिजलीघर सी ब्लाक सेक्टर 63 नोएडा से बिजली के तार के 02बन्डल चोरी किये गये थे। तथा बन्डलो को ट्रक में लादकर ले जा रहे थे।

अभियुक्तों का विवरण-

1.मोहम्मद अब्दुल गफ्फार पुत्र मौ0 पप्पू खान निवासी मकान 430 गली नं0 5 अग्रवाल विद्यालय के पास संजय इन्कलेव सेक्टर 22 फरीदाबाद।

2.अमित पुत्र गैदल लाल निवासी नवाबगंज थाना नबावगंज जिला बरेली।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 बन्डल बिजली के तार

2. ट्रक नं0 डीएल 1 एमए 6450

5- थाना जारचा पुलिस द्वारा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए मिठाई बाटंते हुए बीडीसी पद का प्रत्याशी गिरफ्तार, कब्जे से 80 किलोग्राम (160 डिब्बे) पेठा मिठाई मय कार बरामद।

दिनांक 15.04.2021 को थाना जारचा पुलिस द्वारा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए मिठाई बाटंते हुए बीडीसी पद का प्रत्याशी बिल्डो पुत्र लाल सिंह निवासी सलारपुर कला थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर को ग्राम सलारपुर कला से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 80 किलोग्राम (160 डिब्बे) पेठा मिठाई व 01 ईको कार रजि0 नं0 एचआर 51 बीसी 9376 बरामद हुई है।

अभियुक्त का विवरण-

बिल्डो पुत्र लाल सिंह निवासी सलारपुर कला थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 065/2021 धारा 188,269,270,171-ई भादवि व 227 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना जारचा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 80 किलोग्राम (160 डिब्बे) पेठा मिठाई

2. 01 ईको कार रजि0 नं0 एचआर 51 बीसी 9376

#कोविड 19 संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार जनपद गौतमबुद्धनगर में रात्रि कर्फ्यू का समय बदलकर रात्रि 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कर दिया है। इसी संदर्भ में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने , दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू के सम्बंध में

लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 15.04.2021 को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले 2063 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 2,06,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।1578 वाहनों का चालान करते हुए कुल 1,75,600 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 08 वाहनों को सीज भी किया गया।

74 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 18 अभियोग पंजीकृत किये गये।